न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी, करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 435/2022

जीसीएमएस नं. :—2022/435

पृथ्वीराज पुत्र स्व0 श्री सुल्तानराम जाति सुथार निवासी जोडकिया, तहसील व जिला हनुमागनढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. भजनलाल } पिसरान स्व0 श्री रामरख जाति गुंसाई निवासीगण जोड़किया,
2. भानीराम } तहसील व जिला हनुमागनढ।

—असल रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण

3. भानूप्रकाश पुत्रगण स्व0 श्री सुल्तानराम जाति सुथार निवासीगण जोड़किया
4. विजय कुमार तहसील व जिला हनुमागनढ।
5. श्रीचन्द पि0 मु0 श्री बीरबलराम जाति सुथार निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. विजय सिह पुत्र. श्री सबल सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 5, 6

7. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी सं0 4

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2022

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

प्र. सं. 250/2018 अनवान भजनलाल आदि बनाम पृथ्वीराज आदि

उपस्थितिः—

श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री राजेश दीपसय, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2

छिम्पा

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

श्री भवानी सिंह निर्वाक अभिभाषक रेस्पो0 सं0 5
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अभिभाषक रेस्पो0 सं0 7

निर्णय दिनांक 26.5.23

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212–ए के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि उनकी कृषि भूमि चक 15 एल.एल.डब्ल्यू (ए) तहसील हनुमानगढ के प.नं. 109/240 (39) के किला नं. 6 से 8, 13 से 17 में कुल 2.024 है0 है तथा इसी मुरब्बा में अपीलाण्ट की कृषि भूमि किला नं. 1, 10, 11, 20 में अपीलाट व उसके भाईयों की रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4 की संयफकत ख्याता की भूमि किला नं. 12, 18, 19, 21 से 25 है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि उनकी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4 की भूमि के किला नं. 11 व 12 में उत्तर की तरफ प्रत्येक किला में 2–2 बिस्वा रास्ता काफी वर्षों से चल रहा है। लेकिन अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 3 व 4 इस रास्ता को रोक देते हैं। अतः इस रास्ते को स्वीकृत किया जावे।

2. अप्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया जिसमें कथन किया कि प्रार्थी के पास पहले से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, पूर्व में रेस्पो0 सं0 1 व 2 के पिता रामरख ने रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु वाद सं0 83/88 अनवान रामरख बनात पृथ्वीराज आदि पेश किया था जो वैकल्पिक मार्ग होने की अवधारणा पारित करते प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.08.89 को खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। किला नं. 10 में रास्ता स्वीकृत अपीलाण्ट की भूमि के दो टुकड़े कर दिये हैं, जिसके कारण अपीलण्ट की किला नं. 1, 10, 11, 20 में कातश करने व सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न होगी। कानूननभी भूमि का टूकड़ा करते हुए व भूमि को दो भागों में विभाजित करते हुए रास्ता स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। रेस्पोडेण्ट संख0 1 व 2 की मांग प. नं. 109/240 के किला नं. 11 व 12

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रास्ता स्वीकृत किये जाने की थी तथा इस अनुचित मांग से भी अपीलाण्ट की भूमि के दो टूकड़ें हा जाते हैं। पूर्व में रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 के पिता ने पत्थर नं. 109/240 के किला नं. 9 व 10 में रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र विविध राजस्व सं0 88/83 अनवान रामरख बनाम पृथ्वीराज आदि अपीलांट के विरूद्ध पेश किया था। यह प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.08.1989 को खारिज फरमाया था। उक्त आदेश के बावजूद पुनः अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत किला नं. 9 व 10 में रास्ता स्वीकार फरमाया है जा रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाण्ट अपनी भूमि को विभाजित न होने के आशय से अपनी किला नं. 1 के उत्तरी सिरे पर 1 विस्वा रास्ता देने के लिए रजामंद था व किला नं. 2, 9 के पश्चिमी सिरे पर तथा किला नं. 9 के दक्षिणी सिरे से होते हुए रास्ता की सुविधा दी जा सकती है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 गांव जोड़किया के निवासी हैं तथा उनकी प्रश्नगत भूमि 8 बीघा भूमि के अलावा चिपती भूमि 14 एलएलडब्ल्यू के प. नं. 110/240 के किला नं. 10, 11, 20 में कृषि भूमि है व किला नं. 10 में उनकी ढाणी भी बनी हुई है। पत्थर लाईन 240 पर गांव जोड़किया से रास्ता पत्थर सं0 110/240 तक मंजूरशुदा है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 इसी रास्ता से होते हुए पत्थर नं. 110/240 के किला नं. 2 से 5 में से होते हुए आज तक आवागमन करते आ रहे हैं। गांव की दूरी को देखते हुए यही रास्ता मंजूर किया जाना श्रेयस्कर था। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 व 2 रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत रास्ता काफी अर्सा से चल रहा है, जिससे रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 के अधिवक्ता आवागमन करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता आवागमन के लिए सुगम है अप्रार्थीगण की कृषि चिपती भूमि है जिसमें आवागमन हेतु प्रार्थीगण को सुविधा है। तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई है तहसीलदार से रिपार्ट आने के बाद किला नं. 9 व 10 में ही रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित पाया गया है। विचरण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है, जो खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार हनुमानगढ की मौका रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अनुसार प. नं. 109/240 (39) के किला नं. 1 ता 4 तथा 5 के मध्य 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की अभिशंषा की है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार यदि यह रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी सख्या 1 पृथ्वीराज के एक किला में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत होता तथा अन्य काश्तकारां के चार बिस्वा अनावश्यक रास्ता स्वीकृत करना पड़ेगा तथा प्रार्थीगण को पांच बिस्वा रास्ते के बदले में भूमि देनी पड़ेगी एवं रास्ता लम्बी दूरी का तथा टेडा–मेढा स्वीकृत करना पड़ेगा, जबकि अप्रार्थी संख्या 5 की सहमती के अनुसार रास्ता किला नं. 9, 10 की दक्षिण सीमा पर स्वीकृत किय जाने पर अप्रार्थी पृथ्वीराज के रकबा में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत होगा तथा कुल रकबा गैर मुमकिन रास्ता 2 बिस्वा ही स्वीकृत करना पड़ता हैं। अप्रार्थी संख्या 5 ने किला नं. 9 में रास्ता के बदले भूमि दिये जाने पर रास्ता स्वीकृति हेतु सहमती भी दी है। ऐसी स्थिति में चक 15 एलएलडब्ल्यू 'ए' के प. नं. 109/240 (39) के किला नं. 9 व 10 के दक्षिण सीमा पर पश्चिम से पूर्व 1–1 बिस्वा अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकृत किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं पदेन सहायक कलक्टर, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 26.5.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/5/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ